



गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15

अंक : 165

दि. 14.10.2025,

मंगलवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in



24 साल जनविश्वास, सेवा और समर्पण के

“सहकार से समृद्धि” का हो रहा सपना साकार पशुपालक बन रहे आत्मनिर्भर और सशक्त अपार



आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय, कोर्ट ने कहा – सत्ता का दुरुपयोग कर रची गई साजिश

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश के सबसे चर्चित भ्रष्टाचार मामलों में से एक आईआरसीटीसी घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दिल्ली की राजज एव्यून्स कोर्ट ने सोमवार को आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तथा उनके पुत्र और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने कहा कि प्रस्तुत सबूतों के आधार पर यह पाया गया है कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और मुकदमे की औपचारिक सुनवाई अब शुरू की जाएगी।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया, टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर अनियमितता को बढ़ावा दिया और अपने परिवार को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचा। अदालत के अनुसार, आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित होटलों के रखरखाव से जुड़े टेंडर की प्रक्रिया में जानबूझकर बदलाव किए गए ताकि लाभ लालू परिवार से जुड़ी कंपनियों को मिल सके। कोर्ट ने कहा कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने और निजी लाभ हासिल करने के लिए यह षड्यंत्र 2004 से 2009 के बीच रचा गया, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। अदालत ने यह भी पाया कि इस सौदे के तहत कोच परिवार से बेहद कम कीमत पर जमीन खरीदी गई, जिसे बाद में राबड़ी



देवी और तेजस्वी यादव के नाम पर स्थानांतरित किया गया। अदालत ने तीनों नेताओं से पूछा कि क्या वे लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं। इस पर लालू, राबड़ी और तेजस्वी तीनों ने खुद को निर्दोष बताया और सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया। सीबीआई ने इस मामले से संबंधित कई गवाहों के बयान और दस्तावेजी सबूत पेश किए। जांच एजेंसी ने दावा किया कि लालू यादव ने रेल मंत्री के रूप में अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर आईआरसीटीसी टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया और अपने परिवार की कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित रूप से ठेका दिलवाया।

अदालत ने आदेश दिया है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मुकदमा चलेगा। भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम सात वर्ष की सजा और जमानत का प्रावधान है। सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच मंत्री के रूप में अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर आईआरसीटीसी टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया और अपने परिवार की कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित रूप से ठेका दिलवाया।

मामले में आईआरसीटीसी के पूर्व अधिकारी वी.के. अस्थाना, आर.के. गोयल, सुजाता होटल्स के निदेशक विजय कोचर, विनय कोचर और डिलाइट मार्केटिंग (अब लारा प्रोजेक्ट्स) समेत कुल 14 लोगों और कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। तेजस्वी यादव ने अदालत के आदेश के बाद एक तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “यह सब राजनीतिक बदले की भावना से हो रहा है। चुनाव से पहले हमें फंसाने की साजिश रची जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक महीने पहले कहा था कि तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। आज जो कुछ हो रहा है, वह उसी धमकी का परिणाम है।” तेजस्वी ने आगे कहा कि उनकी पार्टी कानून में विश्वास रखती

है, लेकिन “सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है।” उन्होंने दावा किया कि आईआरसीटीसी का यह टेंडर पूरी तरह पारदर्शी था और इससे रेलवे को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। वहीं, सीबीआई का पक्ष है कि जांच एजेंसी ने ठोस दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड के माध्यम से साबित किया है कि यह सौदा “क्विड प्रो क्वो” (लेन-देन के बदले लाभ) के सिद्धांत पर आधारित था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला बिहार की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है। लालू परिवार पहले से ही कई भ्रष्टाचार मामलों का सामना कर रहा है, और अगर इस मामले में दोषसिद्धि होती है, तो यह 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की रणनीति को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। मामले की अगली सुनवाई अब नवंबर के पहले सप्ताह में होगी, जब अदालत सीबीआई के प्रमुख गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। अदालत ने सभी अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। आईआरसीटीसी घोटाला, जिसने कभी भारतीय राजनीति को झकझोर दिया था, अब एक बार फिर से उसी बिंदु पर लौट आया है जहाँ कानून और राजनीति आमने-सामने खड़ी हैं — एक और सीबीआई की कानूनी दलीलों और दूसरी ओर लालू परिवार का यह दावा कि यह सब “राजनीतिक प्रतिशोध” की कहानी है।

मेडागास्कर में जेन-ज़ेड की बगावत: राष्ट्रपति राजोएलिना देश छोड़कर भागे, सेना पर तख्तापलट का आरोप

(जीएनएस)। हिन्द महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित द्वीपीय देश मेडागास्कर में पिछले हफ्ते से चल रहे युवाओं के उग्र विरोध-प्रदर्शन ने देश की राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। राजधानी एंटानानारिवो में हजारों युवा जेनरेशन-ज़ेड के प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और पानी, बिजली की कमी, बेरोजगारी और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोमवार को राष्ट्रपति आंद्रे राजोएलिना अचानक देश छोड़कर भाग गए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों के अनुरोध पर उन्हें एक फ्रांसीसी सैन्य विमान के जरिए सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया।

राजोएलिना ने रविवार को दावा किया था कि सेना के भीतर तख्तापलट की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सोमवार को स्थिति इतनी बिगड़ गई कि राष्ट्रपति को तत्काल देश छोड़ना पड़ा। राजधानी के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थानों और सरकारी दफ्तरो पर कब्जा कर लिया। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो में युवाओं को सरकारी भवनों पर कब्जा करते और “जनता की आवाज” के नारे लगाते देखा गया। राजोएलिना का राजनीतिक सफर हमेशा विवादों से भरा रहा है। वे पहले लालू 2009 में सेना की मदद से सत्ता पर आए थे, 2014 में पद छोड़ना पड़ा, लेकिन 2018 में चुनाव जीतकर पद पर लौटे। 2023 में पद छोड़ने और 2023 में एक विवादित मतदान में तीसरा कार्यकाल हासिल किया। इस बार की बगावत में सेना की एक विशेष इकाई कैम्पेस्ट, जिसने 2009 में उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था, अब उनके खिलाफ



खड़ी हो गई और प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रही है। आर्थिक और सामाजिक रूप से भी मेडागास्कर संकटग्रस्त है। विश्व बैंक के अनुसार देश में पांच में चार लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। लगातार प्राकृतिक आपदाएँ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता ने युवाओं में गुस्सा बढ़ा दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक पुराना तंत्र समाप्त नहीं होता, वे पीछे नहीं हटेंगे। इस विरोध-प्रदर्शन की शुरुआत पिछले महीने पानी और बिजली की कटौत के कारण हुई थी। युवाओं की सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में अब तक कम से कम 22 लोग मारे गए

हैं और सैकड़ों घायल हैं। राजधानी में आपातकाल लागू है, इंटरनेट बंद है और कर्फ्यू लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ ने संयम बरतने की अपील की है, लेकिन युवा लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। लगातार प्राकृतिक आपदाएँ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता ने युवाओं में गुस्सा बढ़ा दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक पुराना तंत्र समाप्त नहीं होता, वे पीछे नहीं हटेंगे। इस विरोध-प्रदर्शन की शुरुआत पिछले महीने पानी और बिजली की कटौत के कारण हुई थी। युवाओं की सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में अब तक कम से कम 22 लोग मारे गए

भारत-कनाडा संबंधों में नई दिशा: खालिस्तान समर्थकों पर सख्ती और सहयोग का विस्तृत खाका

(जीएनएस)। दिल्ली में सोमवार को भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद की मुलाकात ने भारत-कनाडा संबंधों को एक नई दिशा देने का कार्य किया। इस बैठक को न केवल द्विपक्षीय सहयोग के पुनर्निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, बल्कि वह खालिस्तान समर्थक गतिविधियों के खिलाफ भारत के सख्त रुख का स्पष्ट संकेत भी है। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव, खासकर कनाडा में खालिस्तानी तत्वों की सक्रियता को लेकर भारत की चिंताओं के बीच यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण रही। जयशंकर ने बैठक के बाद अपने वक्तव्य में कहा कि भारत और कनाडा के बीच संबंध लगातार आगे बढ़ रहे हैं और दोनों देश साझेदारी को और गहराई देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बैठक केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि 26 मई को हुई पिछली टेलीफोन वार्ता के बाद से जारी संवाद का ठोस विस्तार था। पिछले दो महीनों में दोनों देशों ने कई स्तरों पर वार्ताएँ की हैं और यह तय किया है कि वे पारस्परिक हितों को ध्यान में रखते हुए संबंधों को पुनर्जीवित करेंगे। जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रियों के रूप में दोनों देशों की जिम्मेदारी है कि वे सहयोग के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का नेतृत्व करें और सुनिश्चित करें कि यह उनके प्रधानमंत्रियों की अपेक्षाओं और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हो। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस सहयोग का अर्थ केवल औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सरकारों के समग्र कार्यक्षेत्र में व्यापक संवाद और समन्वय का



हिस्सा होना चाहिए। बैठक के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चर्चा खालिस्तान समर्थक गतिविधियों और कनाडा में भारत विरोधी बयानों को लेकर रही। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे तत्वों को खुली छूट देना दोनों देशों के संबंधों पर गहरा असर डाल रहा है और इसे अब बदलने नहीं दिया जाएगा। यह चर्चा कनाडा सरकार के लिए भी एक सख्त संदेश मानी जा रही है कि भारत अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मामले में किसी भी प्रकार की हिलाई स्वीकार नहीं करेगा। जयशंकर ने इस बैठक को “नई साझेदारी का रोडमैप” बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को नई दिशा देने पर सहमत बनाई है। इसके साथ ही असेन्य परमाणु सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा क्षेत्र में भी संयुक्त प्रयासों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह सहयोग न केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त करेगा बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता लाने में भी योगदान देगा।

जयशंकर ने कहा कि भारत-कनाडा की नई समझदारी का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को “जोड़ित मुक्त” बनाना है। दोनों देशों के बीच बढ़ता संवाद और आपसी विश्वास अब अपनी-अपनी राजधानियों में कार्यभार संभाल चुके हैं और उन्होंने आज की बैठकों में भाग लेकर इस सहयोग की दिशा को और स्पष्ट किया है। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब भारत अपने वैश्विक साझेदारों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संतुलन की नई परिभाषा गढ़ रहा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि खेल के मैदान में सक्रिय भागीदार है। खालिस्तान समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा के साथ-साथ यह बैठक इस बात का संकेत भी है कि भारत कनाडा के साथ अपने संबंधों को वैचारिक मतभेदों के बावजूद आगे बढ़ाना चाहता है — लेकिन समान सम्मान और परस्पर विश्वास के आधार पर।

ट्रम्प के संदेश से मध्य-पूर्व में नई उम्मीद: बंधकों की रिहाई, शांतिपूर्ण विकल्प और वैश्विक संतुलन की पुकार

(जीएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का यरूशलम में दिया गया भाषण उस समय की साफ ऐतिहासिक छाप छोड़ गया जब कई वर्षों से जारी विनाशकारी गठरी-गाजा संघर्ष—के बीच एक अहम मोड़ आया। ट्रम्प ने न केवल इजराइल के प्रधानमंत्री बेनजामिन नेतन्याहू द्वारा मध्यस्थता कराए गए युद्धविराम समझौते की खुले दिल से सराहना की, बल्कि उन 20 इजराइली बंधकों की सुरक्षित रिहाई को भी “बड़े बदलाव” का संकेत बताया जिसने लंबी पीड़ा झेल रहे लोगों के लिए राहत की सांस बनकर काम किया। उनके शब्दों में वह क्षण भविष्य की कई पीढ़ियों के लिए वह पल बन जाएगा जब सब कुछ बेहतर हुई दिशा में बदलना शुरू हुआ। समझौते के हिस्से के रूप में इजराइल ने 1,900 से अधिक फिलिस्तीनियों में से कुछ कैदियों की रिहाई की प्रक्रियाओं को भी आगे बढ़ाया। मिस्र के एक अधिकारी की जानकारी के अनुसार, 154 रिहा किए गए फिलिस्तीनी कैदियों को मिस्र भेजा गया, जबकि अन्य कैदी गाजा पहुंचने लगे। यह रिहाई उन समझौतों के तहत हो रही है जिनमें बचे हुए बंधकों की आजादी सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक प्रयास शामिल हैं। ऐसे संवेदनशील परिवर्तन और शिफ्टिंग कार्यों की प्रकृति ऐसी होती है कि ज्यादातर बार इसमें प्रत्यक्ष संचार सीमित और गुप्त रखा जाता है—इसीलिए उन अधिकारियों ने अपना नाम उजागर न करने की शर्त पर यह सूचना साझा की। ट्रम्प ने यरूशलम में अपने संबोधन में फिलिस्तीनियों से भी स्पष्ट संदेश दिया: “आतंकवाद और हिंसा से दूर रहें।” उनका कहना था कि फिलिस्तीनी समाज के लिए विकल्प अब और स्पष्ट नहीं हो सकता—या तो हिंसा का मार्ग जो विनाश



और दुःख लेकर आता है, या फिर शांति का रास्ता जो यथार्थ विकास और बेहतर जीवन का मार्ग खोलता है। ट्रम्प ने इसे फिलिस्तीनियों के लिए एक मौका बताया—ऐसा अवसर जब वे आतंक और हिंसा से हमेशा के लिए दूरी बनाकर तर्क की और रोजगार जैसे सकारात्मक विकल्प चुन सकते हैं। अपने भाषण के दौरान ट्रम्प ने नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे आरोपों का भी संदर्भ दिया और इजराइली राष्ट्रपति इसहाक हरज़ोग से अपील की कि वे आरोपों के बावजूद राष्ट्रीय हित और वर्तमान ऐतिहासिक घड़ी को देखकर परिस्थिति को संभालें—“सिगर और थोड़ी शैपन—किसे परवाह है?” जैसा उनके तर्जुमान ने वह कहा करते हैं—मनलब व्यक्तिगत आरोपों की पृष्ठभूमि में भी राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ और सुरक्षा के मसले सर्वोपरि होने चाहिए। ट्रम्प का संदेश सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन तक सीमित नहीं रह गया। उन्होंने ईरान, रूस और चीन जैसे देशों को भी नसीहत दी कि वे हथियारों के निर्माण और आर्म्स रेस में निवेश करने की बजाय अपने वित्तीय और बौद्धिक संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास पर लगाएँ। उनका तर्क था कि यदि

देश स्कूल, अस्पताल, उद्योग और एआई जैसे भविष्य के क्षेत्रों में खर्च बढ़ाएँ तो वहाँ के नागरिकों को सच्चा लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय द्वेष घटेगा। ट्रम्प ने कहा कि मिडिल ईस्ट के देशों को एक-दूसरे को दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए और मिलकर तर्क की मेजों पर काम करना चाहिए—यही स्थिरता और समृद्धि का पथ है। यह बयान एक व्यापक राजनीतिक संदेश भी था—यह संकेत कि वैश्विक शक्तिर्ष केवल शक्ति प्रदर्शित करने में नहीं, बल्कि स्थायी विकास और मानवीय कल्याण पर निवेश करके ही दीर्घकालिक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। ट्रम्प ने उस समय की महत्वाकांक्षा जताई कि अगर वैश्विक खिलाड़ी हथियारों के बजाए शिक्षा और नविकरसा पर पैसा लगाएँगे तो दुनिया के कई हिस्सों में तंगी और तनाव घटेगा। कठिन और संवेदनशील कूटनीति के इन पलों में, बंधकों की रिहाई और कैदियों का आदान-प्रदान केवल सैन्य या रणनीतिक सफलता नहीं माना जा सकता—यह भावनात्मक, मानवीय और राजनीतिक स्तर पर भी एक संकेत है कि वास्तविकता से बड़े गतिरेकों को तोड़ा जा सकता है। मिस्र के माध्यम से कैदियों की सुरक्षित मुलाकात, गाजा पहुँचने वाले फिलिस्तीनी नागरिक और ट्रम्प का सार्वजनिक सम्बंध—ये सभी घटनाएँ इस बात की दस्तावेज सुनाती हैं कि अंततः राजनीतिक इच्छाशक्ति और अंतरराष्ट्रीय दबाव के मिश्रण से संघर्ष का नरम पड़ाव संभव है। हालाँकि ऐसी सफलता क्षणिक या सीमित भी हो सकती है—ऐसे समझौतों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन पर टिकाऊ नियामन, लागू करने की पारदर्शिता और स्थानीय नेताओं के बीच वास्तविक समझ बनने रहे।

नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से झटका: पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पोस्ट मामले में राहत नहीं मिली

(जीएनएस)। गांधिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर



दर्ज FIR के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय विश्वनोई की बेंच ने स्पष्ट किया कि इस चरण पर वह हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। इस तरह नेहा की याचिका खारिज कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच जारी रहेगी। यह विवाद उस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर है जो नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद किया था। आरोप है कि इस पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। नेहा ने FIR को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल मामले की जांच पूरी होने तक कोई राहत नहीं दी जा सकती। यूपी पुलिस ने नेहा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) 2023 की धारा 196, 197, 152, 353 और आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में इसमें देशद्रोह से जुड़ी धाराएँ भी जोड़ी गईं। नेहा ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि केवल सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर उन्हें ‘देश के खिलाफ साजिश’ जैसी गंभीर धाराओं में फंसाना गलत है। नेहा के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि वह ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन पर बगावत जैसी धाराएँ नहीं लगनी चाहिए। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की दलीलें वह ट्रायल या चार्ज फ्रेमिंग के समय रख सकती हैं। इस फैसले के साथ यह स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा और मामले की जांच पूरी होने तक नेहा को राहत नहीं मिलेगी। इस कदम से यह भी संकेत मिलता है कि सोशल मीडिया पोस्ट और उस पर की गई टिप्पणियों के मामलों में भारतीय न्यायालय सख्त रुख अपना रहा है, खासकर जब सुरक्षा और देशभक्ति से जुड़े आरोप शामिल हों। नेहा सिंह राठौर के लिए यह न केवल कानूनी चुनौती है, बल्कि उनके सार्वजनिक छवि और भविष्य की मीडिया गतिविधियों के लिए भी एक चेतावनी के समान है कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमाओं और कानूनी दायरे में ही सुरक्षित रहती है।

संपादकीय

कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित


जलवायु ग्लोबल वार्मिंग संकट से जुझती दुनिया में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर नियंत्रण की दिशा में भारत सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जतायी है। केंद्र सरकार के गत सप्ताह की शुरुआत में अधिसूचित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, भारत में औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा रहा है। इन नियमों ने कार्बन-प्रधान उद्योगों के लिये देश के पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन न्यूनतम करने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ऐसे में, जो उत्पादन इकाइयाँ अपने निर्धारित लक्ष्य से कम कार्बन का उत्सर्जन करती हैं, वे व्यापारिक कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाली इकाइयों को भारतीय कार्बन बाजार से समतुल्य क्रेडिट खरीदना होगा या फिर जुर्माना देने को बाध्य होना होगा। दरअसल, एल्युमीनियम, सीमेंट, लुगदी एवं कागज आदि क्षेत्रों की 282 औद्योगिक इकाइयों को 2023-24 के आधार पर रेखा स्तर से अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि पहले अनुपालन चक्र में कुछ बड़ी कंपनियाँ शामिल हैं, जिसमें वेदांता, हिंडालको, नाल्को और बालको द्वारा संचालित एल्युमीनियम स्मेल्टर और अल्ट्राटेक, डालमिया, जे.के.सीमेंट, श्री सीमेंट और एसीसी के स्वामित्व वाले बड़े सीमेंट संयंत्र शामिल हैं। निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने एक सख्त संदेश दिया है कि बड़े औद्योगिक घरानों को हरित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अनुकरणीय उदाहरण पेश करना होगा। यदि ये ताकतवर बड़े घराने हरित लक्ष्यों की पूर्ति के लिये सार्थक पहल करते हैं तो आम लोगों की भी उससे प्रेरणा मिलेगी। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश है। जिसमें चीन पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। निस्संदेह, नये नियम, जो उद्योगों को उत्सर्जन कम करने के लिये प्रोत्सहित करते हैं, उनके औद्योगिक प्रदर्शन, उत्पादित और व्यापार ऊर्जा दक्षता योजना पर आधारित हैं। जिसने ऊर्जा-बचत के लक्ष्य निर्धारित किए। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे दंड लगाने और समयबद्ध निर्गामी व वसूली का काम सौंपा गया है, को कानूनी ढांचे के अनुसार सख्ती से कार्य करने की आवश्यकता है। इस बाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बड़े औद्योगिक दिग्गजों के प्रतिरोध के लिये पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। यह बात उत्साहजनक है कि भारत ने इस वर्ष पहली छमाही में पहले से कहीं अधिक सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन किया। जबकि इस अवधि के दौरान भारत के विजली क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में साल-दर-साल आधार पर एक प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। मानवीय गतिविधियों से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसों को जलवायु परिवर्तन का सबसे अहम कारक माना जाता है। हमारा देश, जिसने इस वर्ष ही जलवायु प्रभाव संबंधी आपदाओं की बाढ़ देखी है, को स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये युद्ध स्तर पर प्रयास करना चाहिए। निस्संदेह, सतत विकास - जलवायु के प्रति संवेदनशीलता कार्बन-तटस्थ पथविधि की ओर बढ़ने के अनुरूप होना चाहिए।

अफ़ग़ान महिलाओं के अधिकारों का यक्ष प्रश्न



अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के दौर के दौरान तालिबान शासन के प्रति भारत की नीति में बेहतर व अहम बदलाव के संकेत मिले हैं। हालांकि वहां महिलाओं के अधिकारों खासकर शिक्षा व समानता जैसे मुद्दों को भी संबोधित करना जरूरी है।

प्रेरणा



हाजिरजवाबी की शक्ति: जब किसान की बुद्धि ने देवियों के विवाद का अंत किया

पूतलू समय पहले की बात है, जब स्वर्गलोक में देवी-देवताओं के बीच सौंदर्य विषयों पर विचार-विमर्श हुआ करता था। एक दिन लक्ष्मी देवी और दरिद्रता देवी के बीच एक बड़ा ही विचित्र विवाद खड़ा हो गया। दोनों देवियाँ अपने सौंदर्य और प्रभाव को लेकर आपस में बहस करने लगीं। लक्ष्मी देवी, जो धन, ऐश्वर्य, वैभव और सुख की अधिष्ठात्री हैं, गर्व से बोलीं — “संसार में मुझसे सुंदर कोई नहीं। मैं जिस घर में प्रवेश करती हूँ, वहाँ हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता और सौभाग्य का वास हो जाता है। मेरे आने से चेहरों की चमक लौट आती है और हर दिशा मुस्कुराने लगती है।”

दरिद्रता देवी ने उत्तर दिया — “तुम्हारा सौंदर्य केवल धनवानों के घर तक सीमित है, जबकि मेरा प्रभाव संपूर्ण है। मैं जब किसी के घर आती हूँ, तो उसका गर्व मेट जाता है, अहंकार दूर हो जाता है। मैं प्रवेश से मनुष्य विनम्र बनता है, उसे संभय का पाठ मिलता है। इसीलिए मेरा सौंदर्य गहरा है, स्थायी है, और जीवन के अनुभव से जुड़ा है।”

दोनों देवियाँ अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करती रहीं। लक्ष्मी देवी के चेहरे पर तेज और गौरव झलक रहा था, वहीं दरिद्रता देवी के स्वर में आत्मविश्वास और दृढ़ता थी। दोनों में कोई भी झुकने का तैयार

नहीं हुई। अंत में लक्ष्मी जी ने कहा — “बले, इस विवाद का निर्णय किसी निष्पक्ष व्यक्ति से करवाते हैं।” दरिद्रता देवी ने सहमति जताई और बोली — “ठीक है, हम धरती पर चलते हैं और जो पहला मनुष्य हमें दिखाई देगा, वही हमारा न्यायाधीश होगा।”

दोनों देवियाँ धरती पर उतरीं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक किसान दिखाई दिया, जो खेत में हल चला रहा था। उसका शरीर मिट्टी से सना हुआ था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, और उसके हाँदों पर परिश्रम की सच्ची मुस्कान थी। धरती माता के इस पुत्र के भीतर सादगी और गहराई का मेल था। दोनों देवियाँ उसके सामने प्रकट हुईं। किसान पहले तो घबरा गया, क्योंकि उसने एक साथ दो अद्भुत तेजस्वी रूप देखे। फिर वह folded hands से बोला, “मां, मैं आपकी सेवा में कैसे उपयोगी हो सकता हूँ?”

लक्ष्मी देवी ने मुस्कराते हुए कहा — “किसान, हम दोनों में विवाद है कि कौन अधिक सुंदर है। तुम हमें देख रहे हो, अब तुम ही निर्णय करो। लेकिन ध्यान रख, जब तक तुम न्याय नहीं दोगे, तब तक तुम कहीं नहीं जा सकेंगे।”

किसान के लिए यह स्थिति बड़ी कठिन थी। वह जानता था कि यदि उसने किसी

एक के पक्ष में निर्णय दिया, तो दूसरी देवी क्रोधित होकर उसे शाप दे देती। वह कुछ पल चुप रहा, मिट्टी में पड़े हल को सीधा किया, और आसमान की ओर देखा। फिर बोला — “देवियों, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। आपकी दिव्यता और सुंदरता की तुलना करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी यदि आप आदेश देती हैं, तो मैं कुछ कहने का साहस करता हूँ। दरिद्र देवी, जब आप किसी के घर से विदा होती हैं, तब आपसे सुंदर कोई नहीं लगता। क्योंकि आपके जाने से उस घर में उजाला लौट आता है, मुस्कुराहटें लौट आती हैं। और लक्ष्मी देवी, जब आप किसी के घर में आती हैं, तो आपसे सुंदर कोई नहीं दिखता, क्योंकि आपके आगमन से वहाँ आनंद और ऐश्वर्य का सागर उमड़ पड़ता है।”

यह सुनकर दोनों देवियाँ एक-दूसरे को ओर देखने लगीं। कुछ क्षणों का मौन छा गया। फिर लक्ष्मी देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और बोली — “किसान, तुम्हारी वाणी में न तो चापलूसी है, न पक्षपात। तुम्हारे शब्दों में सत्य, संतुलन और बुद्धि की गंध है।” में प्रसन्न हुईं। तुम्हारे घर सदा में बने चरण रहेंगे।” दरिद्रता देवी ने भी गंभीर स्वर में कहा — “तुम्हारी निष्पक्षता और समझदारी मुझे प्रिय लगी। तुम्हारे घर में मैं कभी प्रवेश नहीं करूँगी।”

दोनों देवीयों आकाश मार्ग से लौट गईं। किसान विस्मित रह गया। उसने समझा कि उसने केवल एक कठिन स्थिति से निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग किया था, पर वास्तव में उसने जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत सीख लिया — कभी-कभी सही शब्द ही सबसे बड़ा वरदान बन जाते हैं।

उस दिन से किसान का जीवन बदल गया। उसकी फसलें पहले से अधिक लहलहाने लगीं। पशु स्वस्थ रहने लगे, घर में प्रसन्नता और संतोष का वातावरण छा गया। लोग दूर-दूर से उसकी समझदारी और वाणी की प्रशंसा करने आने लगे। जब कोई उससे पूछता कि उसने देवियों को इतना संतुलित उत्तर कैसे दिया, तो वह मुकुराकर कहता — “जब मन शांत हो, और बुद्धि सत्य की राह पर चले, तब वाणी अपने आप सही दिशा में बहने लगती है।”

इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हाज़िरजवाबी केवल तेज़ ज़बान देने की कला नहीं होती, बल्कि वह विवेक और संयम की पराकाष्ठा है। कभी-कभी जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर तर्क या बल से नहीं, बल्कि कोमल वाणी और संतुलित दृष्टिकोण से दिया जाता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है — बुद्धि की विजय।

करते बैठ ही गए, तो भारत को चाहिए था।
रते तालिबान के खिलाफ एक गठबंधन
में मदद करे, सभी पक्षों में समझौता
को उदारवादी तालिबान से भी बात कर
लिया। इस बीच दिल्ली में चर्चा चली कि
भारत ने कितनी चतुर्पक्षीय तालिबान को
हले में कर लिया है। जबकि विडंबना है
तालिबान तो बहुत पहले से भारत के साथ
में तैयार था। कालुल या अफगानिस्तान
में भी तालिबान परस्त्व या गैर-तालिबान
में से बात कीजिए, चाहे वह पुरुष हो या
पत्नी, ताजिक या हजारा, तो आपको
हम लोगों के प्रति अविश्वसनीय
मामामें महसूस होगा। करवा चौथ या
उपवासों से इतर, बॉलीवुड के नायक और
ए.आज भी ताहि बहुत लोकप्रिय हैं।
भूले कि तालिबान भी अफगान हैं -
करजई से यदि बात करें तो वे आपको
इस मूल सच की याद दिलाते हैं। इसका
हर रूप पर रहना मंजूर नहीं। अब खाल
नामा बिन लादेन तोर बोको की पहाड़ियों
उपट्याबाद में, पाकिस्तानी सैन्य प्रशिक्षण
केंद्र में, रहने क्यों आया, इसके अपने
हैं।
यह कि भारतीय विदेश मंत्रालय मौजूदा
पर पहुंचने को कई जटिल मोड़ों से गुजरता
है और अफगानिस्तान के बीच स्थितियों
में आमनाशिरा है। यहां, दूसरा सच है: भारत
पास-पड़ोस से दूर हो गया और दूसरे
बढ़त पाते का मौका दिया। चीन, रूस,
उ.ओ. पाकिस्तान, भारतीय उपमहाद्वीप
में अरब सिलेंड्री हैं - काराकोरम पर्वत
का जखार तक फैले, इन सभी देशों से बने
में - जहां उनकी भूमिका का स्वागत है
में और भारत को इस क्षेत्र में अपने
स्थान पर लौटना होगा।
खान मुताकी की मेजबानी कर पड़ता
आज स

लया जा चुका है। दूसरा होना चाहिए। लालबालाबाद, कंधार और मंजर-ए-शरीफ के राज के वाणिज्य दूतावास फिर खोलना किसी न किसी बहाने बंद कर दिया था, यादादतर अमरीकी दबाव में और बाद में, वे तालिबान के कब्जे के डर से। यद्यपि, विदेश मंत्रालय को अपनी कुछ महिला राजनयिकों को इन वाणिज्य दूतावासों में तैनात करना चाहिए, ठीक वैसे जैसे कि वे मंत्रालय में किया गया था जब अफ़गानिस्तान मामलों को देखने वाली तेजतरंगीय क विजय ठाकुर सिंह को 9/11 के बाद, अमेरिकी हानों के तालिबान को कर चुटुनी पर लगाने के बाद के काल लाल भुजा गया था— उनके साथ गौमन राजदूत, रुद्रेन्द्र टंडन के अलावा बतौर राजदूत विजय कानूतु थे, काटुनू इब्नेट्रियून के स्तंभकार भी हैं, वे दिसंबर में उस टीम का हिस्सा भी थे, जिसने 1814 के यात्रियों की सुरक्षित घर वापस कंधार की हवाई पट्टी पर हड़तावरत न के साथ मोल-तोल किया था। कौन न के कर भारत तालिबान को नहीं जानता? काम नहीं है। यह तो घर जानें जैसा है। को यह बाद उन सभी भारतीय पुनर्स्थापित प्रकरणों से अकनी चाहिए ए जेष्ठमवार को दिल्ली में अउनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रैत करते -और 'महिलाएं क्या चाहती हैं' प्रश्न समेत तमाम सवालों का धैर्यपूर्ण प्रेस।

दिल्ली में, दोपहर में, अफ़गान अमृतसर आया लालहीर नहीं जा सकते और आबाप लें? जैसे ही डॉ. मंजुमोहन सिंह मशरूफ कथन फिजा में गुंजने लगता था आप कल्पना कर सकते हैं कि वे कहीं नहीं हंसि हंस रहे होंगे कि जो लोग कभी जैजिस नतीजा की मखौल उड़ाकर थे, वे दह करीना पड़ रहा है।

तरक्की को मुंह चिढ़ा रहे हैं महिला अपराधों के आंकड़े

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के वर्ष 2023 के महिला अपराधों के आंकड़ों के देश की तत्कनी के आंकड़ों को मुंह चिड़ा रहे हैं। देश एक तरफ जहां राखा, विज्ञान-कानूनीकी, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में जहां लगातार अपा बढ़ रहा है वहीं महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के मामलों में शर्मसार हो रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में उससे पिछले दो सालों की तुलना में महिलाओं के खिलाफ अपराध के ज्यादा मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में पूरे देश में ऐसे करीब 4.5 लाख मामले दर्ज किए गए।

वर्ष 2023 में महिलाओं को खिलाफ अपराध के कुल 4,428,211 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2022 में 4,45,256 और 2021 में 4,28,278 मामले थे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 66,381 मामले दर्ज किए गए, उसके बाद महाराष्ट्र में 47,101, राजस्थान में 45,450, पश्चिम बंगाल में 34,691 और मध्यप्रदेश में 32,342 मामले दर्ज किए गए। तेलंगाना प्रति लाख महिला जनसंख्या पर 124.9 अपराध दर के घटती शीर्ष पर रहा, जबकि इसके बाद राजस्थान 114.8, ओडिशा 112.4, हरियाणा 110.3 और केरल में 86.1 अपराध दर दर्ज की गई।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के मामले सबसे ज्यादा थे, जिनमें 133,676 मामले दर्ज किए गए और इनकी दर 19.7 रही। महिलाओं के अद्वितीय और बंधक बनाने के 88,605 मामले दर्ज किए गए और इनकी दर 13.1 रही। महिलाओं की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला करने के 83,891 मामले आए जबकि बलात्कार के 29,670 मामले दर्ज किए गए। अठारह वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं से बलात्कार के 28,821 मामले आए और 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों से बलात्कार के 849 मामले आए। दर्जा करने के प्रयास के 2,796 मामले दर्ज किए गए।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पेंकालो) अधिनियम के तहत बच्चों को बलात्कार के 40,046 मामले, यौन उत्पीड़न के 22,149 मामले, यौन प्रताड़ना के लिए 2,778 मामले, यौनप्राप्ति के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने के 698 मामले और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत 513 मामले दर्ज किए गए। पुलिस के निपटारा आंकड़ों से पता चला कि पिछले वर्षों से 185,961 मामले जांच के लिए लंबित थे, जबकि 4,48,211 नए मामले दर्ज किए गए और 987 स्थानांतरित किए गए। इस तरह कुल 635,159 मामले थे। एफ़ाईड अटैक के 113 मामले दर्ज किए गए।

साल 2012 में दिल्ली में निर्भया के बलात्कार और हत्या के बाद जमीन पर ज्यादा कुछ बदला नहीं देखित। कठोर कानून मौजूद हैं, पर वह पिछले प्रभावी हैं ?

2022 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, भारत के लिए 'महिलाओं के खिलाफ अपराधों' के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए थे, जो साल 2021 से चार फीसदी बढ़ा है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सबसे बड़ा हिस्सा 'प्रति या उसके सम्बन्धी' द्वारा क्रूरता (31.4 फीसदी) है, तहत दर्ज हुआ, जबकि सभी अपराधों में 'शौल हनन की नींव से महिलाओं पर अपराध' के हिस्सा 18.7 फीसदी था, और 'अपराध' 7.1 फीसदी पर रहा।

वर्ल्डपीस इंटेन्स (महिला शांति और विकास सूचकांक) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत रैंकिंग साल 2023 में 128वें स्थान पर रही। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे टॉप थ्री पर हैं, जबकि अफगानिस्तान, ईरान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य सबसे नीचे स्थान पर हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2022 में महिलाओं को राजीनशा ना करने की जाने वाली राजनीतिक मामलों के मामले में भारत शीर्ष 10 देशों में शामिल है, उसके बाद ब्राज़ील (327) का है, जबकि भारत इस सूची में 125वें स्थान पर है।

यह भी कहा गया है, 2022 में महिलाओं पर सामाजिक-आर्थिक और संरचनात्मक कारणों से साथ सत्ते के कारण हैं, जहाँ विशेषण के रूप में राजनीतिक हिंसा के लिए महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। राष्ट्रीय परिवारवादी आयोग (2019-21) में पाया गया कि 18-49 वर्ष की आयु की 29.3 फीसदी महिलाओं ने अपने जीवनकाल में पति द्वारा अपराध का अनुभव किया है। अगर अपराधों में से भी हो जाता है, तो न्याय धीमा हो सकता है।

पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण अक्सर पीड़ितों को ही दोषी ठहराते हैं या उनकी गवाही को हतोत्साहित करते हैं। परिणामस्वरूप, यह मामलों के अधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होते। विशेषज्ञों का कहना है कि न्याय प्रणाली में अंतराजातीय शर्मिंदगी और प्रतिशोध का उद्देश्य दर्ज करने में बड़ी बाधाएं हैं। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का कारण न्यायसंगत सोच, सामाजिक रुढ़िवाद, अंतराजातीय और जागरूकता की कमी, कानूनों के कम प्रभावी कार्यान्वयन और महिलाओं के प्रति सामाजिक घटती संवेदनशीलता के रूप से सामाजिक-आर्थिक और संरचनात्मक कारण हैं।

भारत की चुनौती वैश्विक रणनीति के समान है, भारत की बढ़त है। कई देशों की तरह, भारत भी कम रिपोर्टिंग और कम जांच का अनुभव है। लेकिन गरीज जैसे न्याय के लिए प्रयास और विशाल जनसंख्या के कारण यह एक बड़ी चुनौती है। अंतराजातीय मामलों की तुलना इस बात पर जोर देती है कि समाधानों में हर देश की विशेषताओं – अंतराजातीय समझौतों को लागू करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने हैं। कानूनों और जागरूकता के मामले में भारत में हाल ही में हुए सुधार सरकारी मामलों के लिए जमीनी हकीकत अभी भी कई चुनौतियों से पीछे है।



और छोटा-सा मौका क्यों दिया जाना चाहिए। क्या पता, भारतीय महिला प्रकाश मुताकी को ऐसा कुछ प्यारी बैटिंग मिलसक उनके पास कोई जवाब न होता : जिसका, अफ़ग़ान महिलाएँ क्या चाहती हैं? और अगर उनकी हसरत अपना एक पाने भर की है, तब केंधार के भुल्ला उठना वह पाने नहीं देते? लेकिन, अगर आप वाकई रचना चाहें, तो ताम्र जवाब मौजूद हैं। यह लेखिका अगस्त 2022 में तालिबान द्वारा काबुल पर कब्ज़ा किए जाने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर वहां मौजूद थीं, और इंदिरा गांधी बाल नृकिसिन्सायन के आईसीयू में यह रंखी गयीं कि महिला नरें और डॉक्टर सबसे कठिन मामलों से कैसे निबटते हैं। आईसीयू साफ़ और सैनित्ताइज़्ड था। महिला डॉक्टर और नरें ने पहली पंक्ती हुई थी, लेकिन चंकर ठंके हुए नहीं। वहां वे जान बचाने को थीं, खासकर जिंदगी की लड़ाई लड़ते नज्वात शिशुओं की, इसलिए नहीं कि वे महिला थीं, बल्कि इसलिए कि उनके पास ये कोशिला, विशेषज्ञता प्रतिबद्धता थी। दिल्ली में, निश्चित रूप से, भारत और अफ़ग़ान शासन, महिला प्रकाशों को दूर रंखने के मामले को रफ़ा-दंग कर इस पर विवाद न्यूनतम रंखना चाहेंगे और सभी से चीजों को व्यापक

परिदृश्य के मुताबिक देखने का आग्रह करेंगे—
यानी भारत तालिबानों के रवैयों को लेकर अपने
एतराजों से पीछे हट चुका है और अब काबुल
में अपने राजनयिक मिशन को योग्य दूतावास में
अप्रेषित करेगा। यह न केवल पड़ोस को लेकर
भारत की नीति में वाकई बड़ा कदम, बल्कि
युवाहारीकता की ओर स्वागत योग्य वापसी का
संकेत भी है।

दुःखद यह कि अफ़ग़ानिस्तान के मामले में
अपनी रणनीतियों को समझने में भारत सरकार
को कबिब एक दमक लग गया। भारत ने
अमेरिकियों, खासकर काबुल में अफ़ग़ान मूल
के पूर्व अमेरिकी राजदूत ज़ल्माय ख़लीलज़ाद से
अति प्रभावित होकर भुला दिया कि इस क्षेत्र में
उसकी र्मिथित कितनी मज़बूत है। इसा चाहिफ़
था कि अमेरिकी भारत के होना चाहिए।
परिप्रेक्ष्य व मौजूदा विश्लेषणों पर निर्भर रहता,
जबकि हुआ उलट। अफ़ग़ान परिदृश्य में सत्ता
वितरण में भारत को भूमिका निभानी चाहिए—
— सबसे पहले, हामिद करज़ई और अब्दुल्ला
अब्दुल्ला के बीच सत्ता संघर्ष सुलटाने में मदद
करके; फिर जब अशरफ़ ग़नी को अमेरिकी
स्थापित कर रहे थे, तो उन्हें बातना चाहिए था
कि यह भारत निर्णय है; लेकिन जब ग़नी काबुल

अभियान



मातृत्व का पावन पर्व: अहोई अष्टमी की कथा, परंपरा और भावनात्मक गहराई

प्रतीक और संस्कृति में हर पर्व और व्रत केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं होता, बल्कि उसमें जीवन के किसी-किसी गहरे भाव, सामाजिक संबंध और मानवीय मूल्य की अनुभूति छिपी होती है। इन्हीं अविश्व पर्वों में से एक है अहोई अष्टमी, जो मातृत्व के सबसे कोमल, संवेदनशील और त्यागमयी रूप को प्रकट करने वाला उत्सव है।

यह दिन केवल पूजा या उपवास का नहीं, बल्कि उस ममता की साधना का है जो अपने बच्चे के लिए हर कठिनाई सहने की तत्पर रहती है। अहोई अष्टमी का व्रत उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है— उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में यह पर्व माताओं द्वारा अत्यंत श्रद्धा और भावनात्मक समर्पण के समनया जाता है। यद्यपि समय के साथ इसका स्वरूप बदल गया है, पर इसकी भावना आज भी उड़नी नहीं गयी है। अब यह व्रत केवल गाँवों या परंपरागत घरों केवल सीमित नहीं रहा; शहरी परिवारों और प्रवासी भारतीय समुदायों में भी यह मातृत्व का



तत्पर रहता है। शाम के समय घर की दीवार या पूजा स्थल पर अहोर्द्वि माता का चित्र बनाया जाता है, जिसमें आठ कोष्ठक (अष्टमी के प्रतीक) और सेह या सियाह (जो जंगली जानवर या नेवला माना जाता है) का चित्र होता है। पूजा में हलवा, पूरी, पुआ और अन्य पकवान बनाए जाते हैं, जिन्हें अष्ट्य के साथ माता को समर्पित किया जाता है। अहोर्द्वि अष्टमी की कथा लोक परंपराओं में अत्यंत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक साहूकार

दंपति के सात पुत्र थे। काति-
मास की अष्टमी के आठ दि-
न पहले उसकी पत्नी घाघर
मरम्मत और सजावट के लि-
जंगल से मिट्टी लेने गई। उस-
खोदते समय अनजाने में सि-
पावड़े से एक सियाह (नेत्रले-
के बच्चे की मृत्यु) हो गई। उस
सियाह ने क्रोध में आकर साहुक-
की पत्नी को श्राप दिया—“जि-
प्रकार तूने मेरे बच्चों की हत्या
की है, उसी प्रकार तेरे भी स-
बच्चे एक-एक करके मरेंगे।
उस श्राप का प्रभाव तुरंत दिख-
लगा। साहुकार के बच्चे एक-
एक करके काल के गाल में स-
गए। साहुकार दंपति शोक में डू-
गए। अंततः साहुकार की प-
ने अपने अपराध का प्रायश्चित्त
करने का निश्चय किया। वह
करुणापूर्वक अहोई माता व-
उपासना में लीन हो गई। उस-
उपासक संख्या, माता से क्षमा माँ-
और संकल्प किया कि वह हर व-
यह व्रत रखेगी ताकि सन्तान र-
रक्षा हो सके। उसकी सच्ची श्र-
और पश्चाताप से प्रसन्न होकर
अहोई माता ने उसे आशीर्वा-
दिया और उसकी सन्तान में पु-

जीवित हो गई। उसी दिन से यह व्रत माताओं के लिए संतान की दीर्घायु, सुख और समृद्धि का प्रतीक बन गया।

इस कथा का गूढ़ संदेश केवल धार्मिक विश्वास में नहीं, बल्कि जीवन के एक शाश्वत सत्य में छिपा है—मां के संकल्प से बड़ा कोई वरदान नहीं होता। जब एक मां अपनी संतान के जन्म की प्रार्थना करती है, तो वह अपने आत्मबल, प्रेम और त्याग से ब्रह्ममांड की ऊर्जा को भी बदल देती है। यही कारण है कि अष्टोत्तमि अष्टमी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि मातृत्व का उत्सव है।

इस दिन पूजा के बाद माताएं तारों या चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। कुछ स्थानों पर तारे देख कर व्रत तोड़ा जाता है, तो कुछ जगहों पर पूजा चंद्र दर्शन के बाद। पूजा में प्रयुक्त मिट्टी का करवा जल से भरा जाता है और उसके मुंह को घास या मिट्टी से बंद किया जाता है। यह करवा संकल्प, धैर्य और ममता का प्रतीक माना जाता है। व्रत समाप्त होने पर माताएं अपनी सास या किसी वृद्ध महिला के चरण स्पर्श करती हैं।

हैं और उनसे आशीर्वाद लेती हैं। कि उनकी संतानें सदा स्वस्थ, दीर्घायु और सुखी रहें। अहोई अष्टमी का यह पर्व समाज में परिवार के प्रति समर्पण, एकता और करुणा की भावना को भी बढ़ाता है। जब पूरा परिवार माँ के व्रत में सहभागी होता है, तो घर का वातावरण पवित्रता, श्रद्धा और प्रेम से भर उठता है। छोटे-छोटे बच्चे जब अपनी माताओं को पूजा करते देखते हैं, तो उनके भीतर भी यह भाव अंकुरित होता है कि जीवन का सबसे बड़ा धन केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि परस्पर प्रेम और सुखशा है। यह द्रव्य अंततः ही सिखाता है कि माँ का प्रेम किसी उपहार या वचन से नहीं मापा जा सकता। उसकी प्रार्थना, उसका त्याग और उसकी निःस्वार्थ भावना ही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। अहोई अष्टमी उस मातृत्व का अभिन्नदं है, जो अपनी संतान के लिए जल, अन्न, आराम सब कुछ त्यागकर भी मुस्कुराती है—क्योंकि उसके लिए अपने बच्चों का जीवन ही उसका सच्चा उत्सव है।

